# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 96/2013
ऑनलाईन नंबर 2013/00054

निर्णय दिनांकः 16.04.2026

1.कान्तादेवी उर्फ चन्द्रकान्ता पत्नि स्व. हुकमाराम जाति जाट (भादू) निवासी टेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ हाल निवासी सादूलगंज, बीकानेर 2. राहील उम्र 11 वर्ष नाबालिग पुत्र स्व. हुकमाराम जाति जाट (भादू) निवासी टेऊ जारिये अपनी संरक्षिका व प्राकृतिक माता कान्तादेवी उर्फ चन्द्रकान्ता पत्नि स्व. हुकमाराम जाट (भादू) निवासी टेऊ हाल बीकानेर 3. अमिता उम्र 16 वर्ष नाबालिग पुत्री स्व. हुकमाराम जाति जाट (भादू) निवासी टेऊ जरिये अपनी संरक्षिका व प्राकृतिक माता कान्तादेवी उर्फ चन्द्रकान्ता पत्नि स्व. हुकमाराम जाट (भादू) निवासी टेऊ हाल बीकानेर।

**—प्रार्थी—**

**बनाम**

1. गणेशाराम 2. सुरजाराम पुत्रगण स्व. कानाराम जाति जाट निवासी टेऊ 3. उमादेवी पत्नि स्व. आदित्य जाति जाट निवासी टेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ 4.पप्पू नाबालिग उम्र 1½ वर्ष पुत्र स्व. आदित्य जरिये अपनी माता व संरक्षिका उमादेवी पत्नि स्व. आदित्य जाति जाट निवासी टेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ 5. श्रीराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी टेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ।

**—अप्रार्थीगण—**

**उपस्थितिः—**

1. श्री मोहनलाल सोनी अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री नारायण पंवार अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
3. अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की तरफ से एक तरफा कार्यवाही ।
4. श्री के. के. पुरोहित अभिभाषक अप्रार्थी सख्या 4 ता 5
5. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सीपीसी

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण निम्न लिखित प्रकार से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते है वादगत खेत खसरा नम्बर 264 तादादी 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 265 तादादी 6.19 हैक्टयर, खसरा नम्बर 349 तादादी 6.10 हैक्टयर रोही टेऊ में प्रार्थीगण 10/63 हिस्सा के खातेदार काबिज कृषक है। यह खेत प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 का संयक्त खातेदारी का है। खसरा नम्बर 264 में कुआं बना हुआ है, जिससे फसल में सिंचाई होती है। वादगत खेत खसरा नम्बर 295 तादादी 0. 01 हैक्टयर व खसरा नम्बर 296 तादादी 6.88 हैक्टयर वाके रोही झंझेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ में हम प्रार्थीगण का कानूनन 341.5 हिस्सा खातेदारी का है, तथा शेष 347.5 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का है। खसरा नम्बर 295 में कुआं बना हुआ है, जिससे खसरा नम्बर 296 में सिचांई होती है। इस मद में अंकित खेतो की खातेदारी अभी तक स्व. हुकमाराम के नाम से चली आ रही है। जबकि हुकमाराम का देहान्त दिनांक 12.10.2010 को बीकानेर में गया था। हम प्रार्थीगण स्व. हुकमाराम के जायज वारिसान होने के कारण इस मद में वर्णित खेतो में स्थित स्व. हुकमाराम के हिस्से के खातेदार कानून हो गये है। लेकिन रेवेन्यू रिकार्ड में अभी तक स्व. हुकमाराम के नाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

से ही पृविष्टी चली आ रही है । स्व. हुकमाराम की जगह प्रार्थीगण अपना नाम खातेदार के रूप में दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है। गांव टेऊ की रोही में स्थित वादगत खेतो में रेवेन्यू रिकार्ड मे हुकमाराम की जगह प्रार्थीगण का नाम दर्ज हो गया है। लेकिन इस मद में वर्णित खेतो में अभी तक स्व. हुकमाराम की जगह प्रार्थीगण का नाम रेवेन्यू रिकार्ड में रेवेन्यू कर्मचारियो की द्वारा दर्ज नही किया गया है जो प्रार्थीगण दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादगत खेतो में प्रार्थीगण का हिस्सानुसार संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन अप्रार्थीगण हमारे हक हिस्से की भूमि में दखलादाजी व बाधा उत्पन करते रहते है । वादगत खेत के रेवेन्यू रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी का चले आने से प्रार्थीगण को लगान अदा करने, ऋण आदि लेने व अन्य कई प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इसलिए प्रार्थीगण इन वादगत खेतो की भूमि का मेटस एण्ड बाऊण्ड के आधार पर विभाजन करवाना चाहते है। विधि के अनुसार प्रत्येक संयुक्त खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त व अधिकार माना जाता है। जिसके कारण काश्त की बात को लेकर भी हम पक्षकारों के बीच मनमुटाव होता रहता है। इसलिए वादगत खेतो की भूमि का मौके पर व रिकार्ड में विभाजन होना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने दिनांक 24.04.13 को को अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि वो सहमति से वादगत खेतो के सम्बन्ध में रिकार्ड मे दर्ज हिस्सा व हक के अनुसार मौका पर व रिकार्ड में मेटस व बाऊण्ड के आधार पर विभाजन करवा लेवे तो अप्रार्थीगण ने ऐसा करने से इन्कार हो गये और वादगत खेतो को खुर्द बूर्द करने व प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकियां दे डाली। खेत खसरा नम्बर 264,265 व 349 में संयुक्त खातेदार के रूप में आदित्य पुत्र बजरगंलाल का नाम चला आ रहा है। जबकि आदित्य का पूर्व में देहान्त हो चुका है व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 आदित्य के जायज वारिसान है। इसलिए आदित्य की जगह अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थीगण की नियत ठीक नही है । अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को अपने (प्रार्थीगण के) अधिकारो से वंचित करने देना चाहते है। प्रार्थीगण कमजोर व सीधे साधे है, जबकि अप्रार्थीगण राजनैतिक प्रभावशाली व बलशाली व्यक्ति है । अप्रार्थीगण की नियत इन वादगत खेतो में प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भूमि को हडप करने की है। प्रार्थीगण को कानून का सहारा लेकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादगत खेतो में स्थित कुऐ आदि बनाने व विकास कार्य करवाने में प्रार्थीगण का बराबर का सहयोग हर प्रकार से रहा है, चाहे वो आर्थिक रूप से सहयोग हो या शारीरिक व श्रम का सहयोग हो । वादगत खेतो की भूमि का मौके पर अभीतक विभाजन नही हुआ है, संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है। हिस्सा के अनुसार कब्जा काश्त संयुक्त रूप से चला आ रहा है। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा का संतुलन व अपुर्तिक क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत करके अर्ज है कि दोराने दावा अप्रार्थीगण को वर्जित फरमाया जावें की वो प्रार्थीगण के वादगत खेतो के सम्बन्ध में कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करें खेत की भूमि को खुर्द बूर्द न करे तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में कोई बाधा या न्यूसेंस पैदा नही करे तथा ऐसा कोई कृत्य नही करे ना ही किसी से करावे जिससे प्रार्थीगण के वैध हितो पर विपरित असरा पडता हो।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 4 ता 5 द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। स्टेट की ओर से राजपैरोकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 3 की ओर से अखबार साया तामिल उपरान्त भी कोई असालतन व वकालतन हाजिर नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा फैसला राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करते हुए कथन किया गया कि खेत खसरा नम्बर 295 व खसरा नम्बर 296 पुराना खसरा नम्बर 734/202 सेटलमेन्ट से बने है पुराना खसरा नम्बर 734/202 मे कृषि नलकुप बना हुआ था सेटलमेन्ट अधिकारीयो मे सेटलमेन्ट करते कृषि नलकुप का अलग खसरा बनाया गया। उक्त खसरा के नये खसरा नम्बर 295 तादादी 0.0100 हैक्टेयर गै.मु. कुआ खसरा नम्बर 296 तादादी 6.8800 हैक्टेयर (5.7800 हैक्टेयर चाही 1.1000 हैक्टेयर बारानी) कुल खसरा 02 कुल तादादी 6.8900 हैक्टेयर रोही ग्राम झझेऊ कायम हुए। खसरा नम्बर 295 तादादी 0.0100 हैक्टेयर गै.मु. कुआ खसरा नम्बर 296 तादादी 6.8800 हैक्टेयर (5.7800 हैक्टेयर चाही 1.1000 हैक्टेयर बारानी) कुल खसरा 02 कुल तादादी 6.8900 हैक्टेयर रोही ग्राम झझेऊ मे प्रार्थीगण के पति/पिता हुकमाराम का 683/1378 हैक्टेयर हिस्सा (13 बीघा/3.415 हैक्टेयर) राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। उपरोक्त भूमि को हुकमाराम ने अपने जीवनकाल मे दिनांक 31.08.2006 को अपने घरेलू आवश्यक्ताओ की पूर्ति हेतू 20,000/– रूपये अखरे बीस हजार रूपये प्रति बीघा की दर से अप्रार्थी संख्या 1 के साथ सौदा किया गया। प्रार्थीगण के पति/पिता हुकमाराम ने रोही ग्राम झझेऊ मे स्थित कृषि भूमि के सम्बध मे सम्पूर्ण प्रतिफल राशि 2,60,000/– रूपये अखरे दो लाख साठ हजार रूपये अप्रार्थी संख्या 1 सें दिनांक 30.08.2006 को प्राप्त कर इकरारनाम (संविदा) विधिवत रूप से निष्पादीत किया व मौका पर कब्जा अप्रार्थी संख्या 01 को सुपूर्द कर दिया था। खसरा नम्बर 295 तादादी 0.0100 हैक्टेयर गै.मु. कुआ खसरा नम्बर 296 तादादी 6.8800 हैक्टेयर (5.7800 हैक्टेयर चाही 1.1000 हैक्टेयर बारानी) कुल खसरा 02 कुल तादादी 6.8900 हैक्टेयर रोही ग्राम झझेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नही है। प्रार्थीगण द्वारा खेत खसरा नम्बर खसरा नम्बर 295 तादादी 0.0100 हैक्टेयर गै.मु. कुआ खसरा नम्बर 296 तादादी 6.8800 हैक्टेयर (5.7800 हैक्टेयर चाही 1.1000 हैक्टेयर बारानी) कुल खसरा 02 कुल तादादी 6.8900 हैक्टेयर रोही ग्राम झझेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ बाबत विक्रयपत्र के पंजीयन करवाने से इनकार करने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायधिश श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष संविदा की विनिर्दिष्ट पालना का दावा प्रस्तुत किया है जिसके सिविल दावा संख्या 2/2021 है, जो विचाराधिन है। रोही ग्राम झझेऊ मे स्थित खसरान की भूमि बाबत प्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार हासिल नही है। प्रार्थीगण येन केन प्रकेण झझेऊ मे स्थित कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने की कोशिश कर रहे जिसका प्रार्थीगण को हक व अधिकार हासिल नही है एवं ग्राम टेऊ में स्थित कृषि भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है एवं ग्राम झंझेऊ में स्थित कृषि भूमि में तादावा फैसला मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 5 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करते हुए कथन किया गया कि खेत खसरा नम्बर 264, 265 व 349 में आदित्य के वारिस अप्रार्थी संख्या 4 व 5 का बहिस्सा बराबर पारिवारिक बंटवारे में आई है जो पारिवारिक बंटवारे में अप्रार्थी संख्या 04 पप्पू उर्फ सज्जनकुमार के हिस्से पांती में खसरा संख्या 264, 265 आया है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 4 की संरक्षिका माता श्रीमती दीपादेवी का कब्जा काश्त है तथा खसरा नम्बर 349 अप्रार्थी संख्या 05 के हिस्से पांती में है जिस पर कब्जा काश्त अप्रार्थी संख्या 05 का है एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। चूंकि वादगत भूमि में ग्राम टेऊ की भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जब तक मौके पर विभाजन नहीं हो जाता तब तक अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा माना जाता है। अतः वादगत भूमि को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। यदि वादगत भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती है एवं दौराने वाद वादगत भूमि को खुर्द–बुर्द कर दिया जाता है तो पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता बढेगी। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष सिद्ध होता है। लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर है।

## आदेश

खेत खसरा नम्बर 264 तादादी 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 265 तादादी 6.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 349 तादादी 6.10 हैक्टेयर वाकेरोही टेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ में उभयपक्षकारान तादावा फैसला मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

आदेश आज दिनांक 16.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

**आदेश सरे इजलास सुनाया गया।**

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)